मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक : 583 /श्रम विभाग /2020 भोपाल, दिनांक 16 /07/2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,

मध्यप्रदेश ।

विषय: मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) अनुग्रह सहायता योजना के स्वीकृत किन्तु लम्बित भुगतान के प्रकरणों के पुनः सत्यापन उपरांत भुगतान की कार्यवाही विषयक।

संदर्भ: इस विभाग का पत्र क्रमांक 1871/595/2019/ए-16-पार्ट-2 भोपाल, दिनांक 02/07/2019 ।

***

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का भौतिक सत्यापन तथा उनका योजना मे वर्णित सभी आवश्यक मापदण्ड के अनुसार पात्र होने की पुष्टि करने हेतु विशेष सत्यापन अभियान सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे 01 जुलाई 2019 से चलाया गया था । सत्यापन अभियान की अवधि के दौरान 01 जुलाई 2019 से 30 सितम्बर 2019 तक प्रकरणों की स्वीकृति का कार्य भी स्थानीय निकायों द्वारा साथ-साथ किया गया था । भुगतान हेतु प्रस्तुत होने पर संबल पोर्टल पर स्वीकृत कर अपलोड किए गए अनुग्रह सहायता के लम्बित प्रकरणों के विश्लेषण से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि अनेक संबल योजना में पंजीबद्ध श्रमिकों के अनुग्रह सहायता योजना के प्रकरणों के स्वीकृति आदेश तो जारी कर पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं, परंतु सत्यापन अभियान में उनकी मृत्यु दर्ज हो जाने से उनका पंजीयन पोर्टल पर निरस्त प्रदर्शित हो रहा है ।

इस अवधि के सभी ऐसे प्रकरण, जिनमें मृत्यु उपरांत अनुग्रह सहायता योजना के स्वीकृत प्रकरणों में भुगतान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हितग्राही की मृत्यु उपरांत 2019 के सर्वे में उन्हें अपात्र घोषित किया गया है, का पुनः सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इनमें से ऐसे प्रकरणों का जॉचोपरांत चिंहांकन किया जाना है जो मृत्यु के पूर्व संबल योजना की पात्रता सम्बंधी सभी आवश्यक मापदण्ड के अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र थे। यह कार्य जिला कलेक्टर द्वारा जॉच कराने उपरांत किया जाना है ।

इन पुर्न सत्यापन हेतु लक्षित प्रकरणों की सूची संबल पोर्टल पर पृथक माड्यूल में उपलब्ध कराई जा रही है। सत्यापन के उपरांत ऐसे समस्त प्रकरणों की जॉच कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा की जावेगी, इनमें ऐसे श्रमिक जिन्हें केवल मृत्यु होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है तथा वे मृत्यु के पूर्व योजना के सभी मापदण्डों के अनुसार संबल योजना में पंजीयन की सभी पात्रता की पूर्ति करते थे एवं 2019 के सर्वे में अपात्र किए जाने का मृत्यु हो जाने के अलावा कोई अन्य कारण नहीं था, के प्रकरणों को चिन्हांकित कर भुगतान की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी ।

इस प्रकार सभी सत्यापित प्रकरणों की जॉचोपरॉंत पात्र प्रकरण जो भुगतान करने योग्य पाए जाते हैं के संबंध में संलग्न प्रमाणपत्र प्रारूप में कलेक्टर के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व पद मुद्रा अंकित कर उसकी स्कैन की हुई

निरंतर.....

कॉपी को संबल पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा। इसके प्रारूप (Format) की प्रति संलग्न है। ऐसे अपलोड किए गए प्रकरणों में ही विभाग द्वारा डी.वी.टी. के माध्यम से पात्र पाए गए अनुग्रह सहायता राशि के हितग्राही के बैंक खाते में सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त विधिवत अनुग्रह सहायता की राशि प्रदान की जावेगी। विस्तृत प्रक्रिया संबल पोर्टल पर पृथक से प्रदर्शित की जा रही है।

उपरोक्त कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर 31 जुलाई तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राजेश राजौरा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा.क्रमांकः 581 /श्रम विभाग /2020 भोपाल, दिनांक 16/07/2020

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
9. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश प्रदेश –अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेषित।
11. सचिव, मध्यप्रदेश असंगिठत कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
12. श्री सुनील जैन,सीनियर टेक्नीकल डायरेक्टर, एनआईसी, बिन्ध्यांचल भवन, भोपाल को उपरोक्त कार्य पोर्टल पर संपादन किए जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. विभागीय रिकार्ड फाईल।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र शासन, श्रम विभाग

कार्यालय कलेक्टर जिला ....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पूर्व में पंजीकृत हितग्राही श्री/श्रीमती ....पिता /पति श्री................. निवासी ग्राम............. विकास खण्ड..................जिला ....म.प्र. का होकर दिनांक .... को मृत्यु हो गई थी। जिसे केवल मृत्यु के कारण पोर्टल से अपात्र कर दिया गया था। जबकि वह योजना में पात्र होकर उक्त मृतक के निकटतम वारिस को अनुग्रह सहायता स्वीकृत योग्य है। प्रमाणित किया जाता है कि संबल योजना की शेष अपात्रता (शासकीय सेवा में है, आयकर दाता है, एक हेक्टर से अधिक भूमि है, उसे भविष्य निधि, ग्रैच्युटी आदि सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है) के कारण उपरोक्त पंजीकृत हितग्राही अपात्र नहीं है।

हस्ताक्षर

(कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी)

जिला ....

मध्यप्रदेश